~~तारांकित~~ अतारांकित प्रश्न संख्याः– ~~253~~ 253
दिनांकः–~~08-08-2018~~ 09/8/2018
प्रश्नकर्त्ता का नाम :–श्री आदर्श शास्त्री
क्या उपमुख्यमंत्री/ मत्री यह बताने की कृपा करेगें किः–

कं संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली में कार्यरत को–ओपरेटिव सोसायटीज की संख्या, इनसे लाभान्वित हो रहे लोंगो की संख्या क्या है;	दिल्ली में कार्यरत को–ओपरेटिव सोसायटीज की संख्या 5803 है इनसे लाभान्वित हो रहे लोंगो की संख्या आर0 सी0 एस कार्यालय मे संकलित नही है
ख	और इन सोसयटीज के निर्माण के क्या मानक है;	इन सोसायटीज के निर्माण के मानक निम्न है अनुसूची -VI की धारा (I) के उप–नियन - 1 नियम 5 के अनुसार सोसायटीयो का पंजीकरण कार्यालय सहकारी समितियो द्वारा किया जाता है। सहायक रजिस्ट्रार जांच करेंगे कि क्या प्रमोटर वास्तविक हैं और अलग-अलग परिवार से हैं और उस क्षेत्र में उसी प्रकार का कोई अन्य सोसायटी नहीं है और इसमें सफलता की पूरी संभावना है। रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार प्रस्ताव को मंजूरी देते है और मुख्य प्रवर्तक को सूचित करते है जो अपने साथी प्रमोटरों को मंजूरी और शेयर साझा करने के बारे में सूचित करेगा, प्रवेश शुल्क मुख्य प्रमोटर द्वारा एकत्र किया जाएगा जो दिल्ली राज्य कोपरेटिव बैंक में सस्पेंस खाते में प्रस्तावित सोसायटी के नाम पर बैंक की नजदीकी शाखा में जमा किया जाएगा। इस राशि को इकट्ठा करने के बाद, मुख्य प्रमोटर पंजीकरण प्रस्ताव की मंजूरी और प्रबंधन का चयन करने के लिए प्रमोटरों की जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करेगा। इस बैठक में प्रमोटर सहकारी समिति के गठन के लिए एक प्रस्ताव अपनाएंगे और नए निर्वाचित सचिव और प्रधान को रजिस्ट्रार को पेपर जमा करने और इस तरफ बाई-लाज में हस्ताक्षर, कटौती या परिवर्तन करने के लिए अधिकृत करेंगे।

S. NO	Class	Minimum No. of Members
1	शहरी बैंक	3000
2	शहरी क्रेडिट सोसायटी	50
3	उपभोक्ता स्टोर	100
4	औद्योगिक (प्रो) सहकारी समिति	15
5	औद्योगिक (सेवा) सहकारी समिति	15
6	समूह आवास समिति	60
7	कृषि सेवा / केडिट समिति	50
8	डेयरी/ मुर्गी पालन समिति	15

Scanned by CamScanner

		9 परिवहन समिति 15 10 श्रम समिति 15 11 सुरक्षा सेवा समिति 15 12 एकीकृत विकास समिति 15 13 बहुउद्देशीय समिति 30
ग	कोआपरेटिव सोसयटीज की स्थापना में सरकार की तरफ से क्या सहयोग किया जाता है;	कोआपरेटिव सोसायटी का पंजीकरण Rule 5 of DCS Rules 2007 के तहत किया जाता है।
घ	महिलाओं और एस.सी/ एस. टी. समूह के लिए इन कोआपरेटिव सोसायटीज से किस प्रकार सहयोग किया जाता है:	DCS ACT 2003 & DCS Rule 2007 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है।
ड	पिछले तीन वर्षो में इस प्रकार कि कितनी कोआपरेटिव सोसयटीज का निर्माण किया गया;	उपरोक्त के अनुसार लागू नही है।
च	इनसे किसको लाभ पहुंचाया जा सका;	उपरोक्त के अनुसार लागू नही है।
छ	द्वारका विधानसभा के अंतर्गत कितनी काआपरेटिव सोसायटीज काम कर रही है; इनका विस्तृत विवरण दे;	द्वारका विधानसभा के अंतर्गत 23 काआपरेटिव सोसायटीज आर0 सी0 एस कार्यालय मे पंजीकृत है। इसमें से 14 शहरी क्रेडिट सोसायटी और 02 समूह आवास समिति द्वारका विधानसभा में पंजीकृत है। 07 समूह आवास समिति का कार्यालय आर0 सी0 एस0 आफिस में द्वारका विधानसभा के अंतर्गत पंजीकृत है, परन्तु इनको जमीन का आंबटन द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नही हुआ है।
ज	बीपीएल आबादी को इन कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से किस प्रकार लाभ पहुंचाया जा सकता है और	DCS ACT 2003 & DCS Rule 2007 में बीपीएल आबादी को इन कोआपरेटिव सोसायटीज के द्वारा लाभ पहुचाने का कोई प्रावधान नही है।
झ	इसके लिए आगे की कोई विशेष योजना हो, तो उसका विवरण क्या है?	उपरोक्त के अनुसार लागू नही है।

(तनुज भनोट)
सहायक पंजीयक

Assistant Registrar
Registrar Co-operative Societies
Parliament Street, New Delhi

Scanned by CamScanner